

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 482/2026

Neeraj Saini S/o Shri Amrit Lal, Aged About 27 Years, R/o Ward
No.37 Roopnagar, Hanumangarh Town, District Hanumangarh
Raj (Lodged In Central Jail, Hanumangarh)

-----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Tirupati Chandra Mr. Abhisek Aggarwal
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

09/03/2026

01. अपील विचारार्थ ग्रहण की जाती है। प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया जाये। प्रत्यर्थी राज्य सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक नोटिस स्वीकार करते हैं अतः औपचारिक नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। विचारण न्यायालय से अभिलेख मंगवाया जावे।
02. सजा स्थगन आवेदन पत्र संख्या 440/2026 पर प्रार्थी-अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता व योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी गई।
03. प्रार्थी-अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का तर्क रहा कि प्रार्थी-अपीलार्थी के हक में आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने के मजबूत आधार उपलब्ध है तथा प्रार्थी-अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि निरस्त किये जाने योग्य है परन्तु अपील की सुनवाई में लम्बा समय लगेगा। इस आधार पर उन्होंने प्रार्थी-अपीलार्थी की सजा अपील की सुनवाई तक स्थगित किये जाने की प्रार्थना की।
04. योग्य लोक अभियोजक ने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-अपीलार्थी के उक्त तर्कों का विरोध किया।
05. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचार किया गया। अपील की सुनवाई में समय लगने की सम्भावना से

इनकार नहीं किया जा सकता। प्रकरण के गुणावगुण पर बिना टीका टिप्पणी किये इस न्यायालय की राय में प्रार्थी-अपीलार्थी की सजा अपील की सुनवाई तक स्थगित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

06. तदनुसार, प्रार्थी-अपीलार्थी की ओर से सजा स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 389 दण्ड प्रक्रिया संहिता (नया धारा 430 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023) स्वीकार किया जाता है। न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी. पी.एस. प्रकरण, हनुमानगढ़ द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 18/2021 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2026 में प्रार्थी-अपीलार्थी के विरुद्ध पारित सजा इस अपील की सुनवाई तक स्थगित की जाती है। प्रार्थी-अपीलार्थी **नीरज सैनी पुत्र अमृत लाल** द्वारा इस न्यायालय में दिनांक **15.04.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु अधीनस्थ न्यायालय में एक लाख रुपये का बंधपत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि अनुसार पचास-पचास हजार की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करावे तो किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं होने पर उसे इस अपील की सुनवाई के दौरान हिरासत से रिहा किया जावे।

07. अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया जावे। निवेदन अनुसार पत्रावली दिनांक 15.04.2026 को सूचीबद्ध की जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J